पत्रांक 3/पन–01–35/2018–

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय– **स्व0 डा0 अशोक कुमार, भूतपूर्व जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्नी श्रीमती ललिता देवी को पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपदान** की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में कहना है कि **स्व0 डा0 अशोक कुमार, भूतपूर्व जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम** की **मृत्यु** के फलस्वरूप इनके **पत्नी श्रीमती ललिता देवी** को सरकार द्वारा नियमानुसार **पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपदान** की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । **स्व0 डा0 अशोक कुमार** के **मृत्यु** की तिथि दिनांक **03.02.2018** है, अतएव दिनांक **04.02..2018** के प्रभाव से **पारिवारिक पेंशन** देय होगा ।

2) इसमें विभागीय कार्यालय **आदेश सं0–888(5) दिनांक 11.07.2018** के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत् संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि महालेखाकार, बिहार से **श्रीमती ललिता देवी** द्वारा निर्धारित अनुमान्य राशि से अधिक राशि की निकासी कर ली जाती है तो की गयी अधिकाई निकासी, उन्हें वापस करना होगा ।

4) इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक :–

(क) पेन्शन–प्रपत्र 4 की दो प्रति ।
(ख) एकल फोटो ।
(ग) हस्ताक्षर का नमूना ।
(घ) पारिवारिक सदस्यों की सूची ।
(ड़) पारिवारिक पेंशन/मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपदान की गणना तालिका ।
(छ) अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र ।
(ज) सरकारी बकाया रहित प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
(झ) मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
(ड़) सेवा इतिहास ।

5) महालेखाकार बिहार, पटना से अनुरोध है कि **स्व0 डा0 अशोक कुमार** के दीर्घकालीन बकाया रहित प्रमाण पत्र एवं आवास बाकी/बेवाकी अपने स्तर से प्राप्त कर लेंगे तथा सभी बकाये के संबंध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(जगदीश कुमार)

ज्ञापांक–3 / पेन–01–35 / 2018– 10(3) / स्वा0, पटना, दिनांक : 04/05/19

प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिविल सर्जन, **रोहतास, सासाराम/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

साथ ही निदेश दिया जाता है कि स्व0 डा0 अशोक कुमार का आवास बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र एवं दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण सीधे महालेखाकार कार्यालय, बिहार को भेजते हुये इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय ।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, **रोहतास, सासाराम**/कोषागार पदाधिकारी, **पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः **श्रीमती ललिता देवी पत्नी स्व0 डा0 अशोक कुमार, पत्राचार पता–आर0सी0फ0–101, नजदीक ई भी निचली पोस्ट ऑफिस–भूतनाथ रोड, बी0एच0 कॉलोनी, पटना सदर पटना, पिन–800026** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,3,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः **आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Old_System\backup\Old System Data\New folder\2018\GPF&Penson-2018.doc